निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 52/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. रामधन पुत्र घासी
2. बंशी पुत्र सूजा
3. रामलाल पुत्र सूजा
4. रामपाल पुत्र सूजा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकान्त कटारा उपखण्ड अधिकारी आमेर मु॰ जयपुर
2. भगवान पुत्र ईसरा
3. सुखदेव पुत्र ईसरा
4. छीतर दत्तक पुत्र कजोड

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

5. रामगोपाल पुत्र गोकुल चन्द
6. मदन मोहन पुत्र रामगोपाल

जाति महाजन निवासी ग्राम बुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

7. प्रभाती देवी पत्नी मांगीलाल
8. मोहनी देवी पत्नी रामकरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2017 ब उनवानी प्रभाती देवी बनाम रामधन व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महावीर प्रसाद शेरावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से।

निर्णय दिनांक 3-9-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 07/2017 ब उनवानी प्रभाती देवी बनाम रामधन व अन्य विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रकरण से संबंधित सहायक कलक्टर आमेर के यहां प्रार्थीगण का वाद बाबत घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पूर्व में पत्रावली में यह आदेश पारित किया गया था कि सहायक कलक्टर आमेर न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय तक पत्थरगढी की कार्यवाही

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थगित रखी जाती है, लेकिन दिनांक 12.06.2019 को अप्रार्थी प्रभाती देवी का पुत्र करण सिंह उर्फ रामकरण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गया और प्रार्थी रामधन को धमकी दी की मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और प्रकरण का शीघ्र मेरे पक्ष में निर्णय आ जायेगा । हम शीघ्र ही न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय करवा कर तुम्हें पत्थरगढी की आड में बेदखल कर देंगे। प्रार्थी ने उक्त घटनाकम के बारे में अपने अधिवक्ता को बताया तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि प्रकरण माननीय सहायक कलक्टर आमेर व राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में प्रकरण जैरकार है जिसके रहते पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती। न्यायालय का भी पूर्व मे निर्णय किया हुआ है। प्रार्थी रामधन स्वयं भी न्यायालय के समक्ष गये और निवेदन किया कि उक्त पत्थरगढी की आड में प्रार्थी को बेदखल कर देंगे, तो न्यायालय ने प्रार्थी को कहा कि दिनांक 17.06.2019 को बहस करो या मत करो मै पत्थरगढी का निर्णय कर दूंगा । इससे प्रार्थीगण को पूर्ण अन्देशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के प्रभाव में है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने भी गांव में प्रार्थीगण को उक्त तथ्यों बाबत दिनांक 12.006.2019 को धमकी दी। इस प्रकार अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देखते हुये प्रार्थीगण आश्चर्यचकित हो गये कि यह कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 7 व 8 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो फिर प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 7 की ओर से वकील श्री महावीर प्रसाद शेरावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो को मनगढन्त, बेबुनियाद व निराधार बताये है, किन्तु प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर का न्यायालय भी स्थापित है। जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी । परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2017 ब उनवानी प्रभाती देवी बनाम रामधन व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर

जिला कलक्टर
जयपुर

उत्तर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर 03 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 3-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर